



CIRCULAR

Circular No: PFRDA/2023/27/Sup-CRA/08

22nd Sep 2023

To

All NPS Stake Holders and Govt sector subscribers

Subject: NPS Tier II through Default scheme for Government Sector Subscribers-reg

As part of PFRDA's ongoing commitment to provide enhanced investment avenues under NPS, it has been decided to introduce the NPS Tier II Default Scheme exclusively for Government Sector Subscribers.

2. Government Sector Subscribers under NPS will be given additional investment option of Default Scheme along with the existing Scheme E / Scheme C / Scheme G investment options.
3. The NPS Tier II Default Scheme represents a significant step forward in catering to the diverse financial aspirations of the Government Sector Subscribers. This scheme is designed to offer flexibility and convenience, aligning with the unique requirements of the Subscribers under the Government sector.
4. Government Sector Subscribers may continue with the Default Scheme under Tier II even after their shifting account to another sector also.
5. The key benefits of an NPS Tier II account:
 - a. Greater Flexibility: There is no mandatory annual contribution requirement for Tier II. The Subscriber can open the account by paying the minimum contribution. There is no maximum limit on the amount that can be contributed under Tier II.
 - b. Easy Withdrawals: With a Tier II account, subscribers can withdraw money at any point of time. It's a convenient way to access the savings when subscribers may need them the most.
 - c. Seamless Transfer: If subscriber wishes to move the funds to primary pension account (Tier I), it can be done at any point. This feature ensures that the investments remain dynamic and adaptable to your changing needs.



- d. No Minimum Balance: There is no requirement for maintaining a minimum balance in NPS Tier II account. It offers the freedom to contribute as much or as little as one wants.
- e. Separate Nomination Facility: The Subscribers can nominate beneficiaries for Tier II account separately, if required.
- f. Default Investment Scheme: The facility of the Default Investment Scheme of Tier I has been extended to Tier II accounts for Government Sector Subscribers. This facilitates the Subscribers to have access to a simplified default investment scheme, similar to Tier I, without the need for actively choosing a scheme of investment or PFs.
- g. Easy to onboard: To join Tier II and opt for the Default Scheme, the Subscribers need to provide consent or a request to the CRA through the associated nodal office. The online & electronic modes of consent mode available on the CRA portal for the benefit of Subscribers.

6. Government Sector Subscribers associated with Protean CRA can complete the account activation process on [Protean e-NPS website](#). If any subscriber is already having Tier II and wish to opt for default scheme in Tier II, one can do the same through Scheme Preference Change option available in the [login of subscriber](#). More than 700 subscribers have already opted for default scheme in Tier II.

The facility of Tier II under default choice will also be made available soon for subscribers associated with KFin CRA.

7. This circular is issued under Section 14 (1) of PFRDA Act, 2013 read with Regulation 18 and 19 of the PFRDA (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015.

Yours Sincerely,

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र सं : पीएफआरडीए/2023/27/एसयूपी-सीआरए/08

22 सितम्बर 2023

प्रति

सभी एनपीएस हितधारक और सरकारी क्षेत्र के अभिदाता

विषय : सरकारी क्षेत्र अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के माध्यम से एनपीएस टियर II के सन्दर्भ में

एनपीएस के तहत निवेश के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की पीएफआरडीए की प्रतिबद्धता के रूप में, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस टियर II डिफॉल्ट योजना शुरू की जा रही है।

2. एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं को मौजूदा स्कीम ई/स्कीम सी/स्कीम जी निवेश विकल्पों के साथ डिफॉल्ट स्कीम का अतिरिक्त निवेश विकल्प दिया जाएगा।

3. एनपीएस टियर II डिफॉल्ट योजना, सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं की विविध वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के तहत अभिदाताओं की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन और सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

4. सरकारी क्षेत्र के अभिदाता अपने खाते को दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बाद भी टियर II के तहत डिफॉल्ट योजना जारी रख सकते हैं।

5. एनपीएस टियर II खाते के प्रमुख लाभ:

क. अधिक लचीलापन : टियर II के लिए कोई अनिवार्य वार्षिक अंशदान की आवश्यकता नहीं है। अभिदाता न्यूनतम राशि का अंशदान करके खाता खोल सकते हैं। टियर II के तहत योगदान की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ख. आसान निकासी : टियर II खाते के साथ, अभिदाता किसी भी समय पैसे निकाल सकते हैं। यह, अभिदाताओं को उनकी सर्वाधिक आवश्यकता के दौरान बचत को निकालने का एक सुविधाजनक तरीका है।

ग. सीमलेस ट्रांसफर : यदि अभिदाता प्राथमिक पेंशन खाते (टियर I) में धन स्थानांतरित करना चाहता है, तो यह किसी भी समय किया जा सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि निवेश गतिशील और आपकी बदलती जरूरतों के अनुकूल बने रहें।



- घ. कोई न्यूनतम शेष राशि नहीं : एनपीएस टियर II खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक या कम से कम अंशदान करने की स्वतंत्रता दी गयी है।
- ङ. अलग नामांकन सुविधा : यदि आवश्यक हो तो अभिदाता टियर II खाते के लिए लाभार्थियों को अलग से नामांकित कर सकते हैं।
- च. डिफॉल्ट निवेश योजना : टियर I की डिफॉल्ट निवेश योजना की सुविधा सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए टियर II खातों तक विस्तारित की गई है। यह अभिदाताओं को टियर I के समान एक सरलीकृत डिफॉल्ट निवेश योजना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें निवेश या पीएफ की योजना को सक्रिय रूप से चुनने की कोई अनिवार्यता नहीं होती।
- छ. बोर्डिंग में आसानी : टियर II में शामिल होने और डिफॉल्ट योजना का विकल्प चुनने के लिए, अभिदाताओं द्वारा संबंधित नोडल कार्यालय के माध्यम से सीआरए को सहमति या अनुरोध प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अभिदाताओं के लाभ के लिए सीआरए पोर्टल पर सहमति के लिए ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध हैं।
6. प्रोटियन से जुड़े सरकारी क्षेत्र अभिदाता खाता सक्रियण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए [प्रोटियन वेबसाइट](#) पर जा सकते हैं। यदि किसी अभिदाता के पास पहले से ही टियर II है और वह टियर II में डिफॉल्ट योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो वह [अभिदाता लॉगिन](#) में उपलब्ध योजना वरीयता परिवर्तन विकल्प के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अब तक टियर II में 700 से अधिक अभिदाता डिफॉल्ट योजना का विकल्प चुन चुके हैं।
- केफिन सीआरए से जुड़े अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट विकल्प के तहत टियर II की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
7. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14(1) के साथ पठित पीएफआरडीए (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 18 और 19 के तहत जारी किया गया है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक